न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी : कृष्णपालसिंह चौहान, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 16/2020

दायर दिनांक–27.7.2020
निर्णय दिनांक–11.01.2021

नटवरसिंह पिता मोतीसिंह जी राजपुत उम्र 49 वर्ष निवासी उम्मेदपुरा त.साबला जिला डूंगरपुर :–प्रार्थी

बनाम

1 कालिया पिता गांगला मीणा उम्र 70 वर्ष निवासी उम्मेदपुरा फला काटीया तहसील साबला जिला डूंगरपुर

2 श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब साबला तहसील साबला जिला डूंगरपुर

:– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत 14(4)एलोटमेंट ऑफ लेण्ड फोर एग्रीकल्चर परपज नियम 1970

उपस्थितः–श्री लालसिंह चुण्डावत वास्ते निगरानीकर्ता

उपस्थितः– श्री चन्दुलाल बरंडा वास्ते विपक्षी सं. एक

उपस्थित :– विपक्षीगण सं. दो की और से राजकीय पेरोकार

आदेश

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी सं. एकको भूमि आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा मिसल सं. 1759/76 के जरिए खसरा संख्या 87/64 रकबा छः बीघा सत्रह बिस्वा मौजा भेखरेड वर्तमान गॉव उम्मेदपुरा मे आवंटन हुआ है। विपक्षी सं. एक के द्वारा ग्राम भेखरेड तत्कालीन तहसील आसपुर हाल साबला मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 64 रकबा 12.17 बारह बीघा सत्रह बिस्वा मे से 6.17 (छः बीघा सत्रह बिस्वा) पर प्रार्थी के पिता मोतीसिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा था। उसके बावजूद विपक्षी सं. एक को भूमि का आवंटन गलत रूप से किया गया है। विपक्षी सं. एक द्वारा कपट एवम् दुर्व्यपदेशन ... भूमि का आवंटन कराया गया है। आवंटन समिति द्वारा आवंटन नियमों की पालना नही की गई है। प्रार्थी की और से ... प्रार्थनापत्र व कब्जे के सम... सम्वत् 2040 ,2041,2042,की गिरदावरी पेश की है। एवम् प्रार्थना पत्र मे अन्य तथ्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

का वर्णन करते हुए विपक्षी सं. एक के नाम पर किए गए आवंटन को निरस्त करना अंकित किया गया है।

प्रकरण मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण की तलबी की गई । विपक्षी सं. एक की और से अपना जबाब प्रस्तुत किया गया विपक्षी सं. दो की और से कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया।

विपक्षी सं. एक की और प्रस्तुत जवाब के अनुसार अंकित किया गया कि आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा विपक्षी सं. एक का होकर उसके द्वारा ही भूमि पर काश्त की जाती आ रही है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सही रूप से भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षी सं. एक द्वारा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. एक को खातेदारी हक प्राप्त हो चुके है , प्रार्थी जोर जबरदस्ती विपक्षी की भूमि पर कब्जा करने आमादा होने से उसके विरूद्व तहसीलदार साहब आसपुर को रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है, एवम् अन्य कथन अपने जबाब मे अंकित किए है। और ऐसी परिस्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारान् के दस्तावेजात, उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अपने अपने अभिवचन तथा शपथ पत्र का अवलोकन, एवम् मनन किया गया एवम् उभय पक्षों की बहस समायत की गई।

विद्वान वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर्ता की और से अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि खसरा गिरदावरी संवत् 2040 से 2042 मे खसरा नम्बर 64 के आगे प्रार्थी के पिता मोतीसिंह का कब्जाकाश्त अंकित होकर उनके द्वारा तिल की फसल बोने का स्पष्ट अंकन है जिससे प्रमाणित होता है कि विपक्षी सं. एक का भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। इसी क्रम मे प्रार्थी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उनके द्वारा अपने गॉव के ही रामसिंह,विरेन्द्रसिंह,शंकरसिंह,पुरीया ,नानालाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किए है जिनके द्वारा प्रार्थी की बात का पूर्ण समर्थन किया गया है। जबकि विपक्षी की और से कोई ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। मात्र कागजों मे एलोटमेंट की प्रकिया की गई है वास्तविक रूप से मौके पर कब्जा विपक्षी सं. एक को सुपुर्द नही किया गया है आज भी कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है। इसके अलावा तहसीलदार साबक्ला न्यायालय मे विपक्षी की ओर से 183 बी राजस्थान काश्त अधिनियम की कार्यवाही भी विचाराधीन है। विपक्षी सं. एक द्वारा मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

पर प्रार्थी का कब्जा होना स्वीकार किया है । अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए जो निम्न है (1) आर.एल. डब्ल्यु 2002 बोर्ड ऑफ रेवेन्यु राजस्थान करणसिंह बनाम मेगा पेज 141 से पेज 143 (2) आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 369 से 373 करणसिंह बनाम मेंगा (3)आर.आर.डी 1984 रहीम खान बनाम नुरमोहम्मद (4)आर.आर.डी. 2002 माननीय उच्च न्यायालय पेज सं. एक से चार (5) आर.आर.डी. 1990 पेज सं. 465 से 476 माननीय राजस्व बोर्ड अजमेर के साईटेंशन की प्रति प्रस्तुत की है। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं.एक द्वारा अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यों को उल्लेखित करते हुए कथन किया कि आवंटन विधि अनुसार किया गया है तथा विपक्षी सं. एक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और आवंटन को लगभग 44 वर्ष का समय हो चुका है , विपक्षी सं. एक की भूमि पर अवैध कब्जा करने को लेकर विपक्षी सं. एक द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचित करने के साथ साथ उसके द्वारा तहसीलदार साबला के न्यायालय मे 183 बी आर.टी. एक्ट की कार्यवाही भी कर रखी है जो विचाराधीन है। आवंटन के पश्चात् से कब्जा विपक्षी सं. एक का ही चला आ रहा था तथा अभी कुछ वर्षो पूर्व जैसे ही प्रार्थी द्वारा कब्जा किया जाने लगा विपक्षी सं. एक द्वारा कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई है । प्रार्थी का पुराना कब्जा कभी नही रहा है। मात्र कुछ वर्षो की गिरदावरी से यह साबित नही हो जाता है कि कब्जा लगातार चला आ रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधि अनुसार आवंटन किया गया है जिसे निरस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी नही है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी की ओर से पेश फोटो, साक्षीनामा व पर्चा मौका दिनांक 17.03. 2020 का पेश किया जाकर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया कि मौके पर कब्जा विपक्षी का है।

हमारे द्वारा उपभयपक्षों की बहस सुनी गई , पत्रावली पर आए दस्तावेजी साक्ष्य व अभिवचनों को पूर्ण रूप से देखा गया एवं न्यायिक दृष्टातों का स–सम्मान अवलोकन किया गया। मौजा भेख[illegible] उम्मेदपुरा में स्थित खसरा न0 87/64 मे [illegible] बिस्वा) भूमि आवंटन सलाहकार [illegible] 1759/76 के द्वारा अप्रार्थी न0 1 कालिया पिता गांगला मीणा को आवंटन की गयी। उक्त भूमि पर प्रार्थी ने अपने कब्जा होना बताते हुए उक्त आवंटन को निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

कराने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। चुकी उक्त आवंटन भूमि पर प्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा कर लेने से अप्रार्थी की ओर से उक्त भूमि पर से प्रार्थी का कब्जा हटाने के लिए धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार साबला के न्यायालय में अप्रार्थी की ओर से प्रकरण पेश कर रखा है। जो अभी भी विचाराधीन रहते हुए इस प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं है।

तहसीलदार साबला के न्यायालय में धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण विचाराधीन होना अप्रार्थी स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र की बिन्दु संख्या 8 में उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में जब प्रार्थी को यह मालूम था कि उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण तहसीलदार साबला के न्यायालय में विचाराधीन है। तो ऐसी स्थिति में उसने अन्तिम निर्णय पश्चात ही प्रार्थी को अग्रीम कार्यवाही करनी चाहिए थी और धारा 14 (4) का प्रार्थना पत्र पेश ही नहीं करना चाहिए था साथ ही गांव कोटिया ग्रामवासियान (पंचों) के द्वारा सामुहीक रूप से लिखित में एक साक्षीनामा भी पेश किया है। जिसमें उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर अप्रार्थी का ही कब्जा होना बताया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्त है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है एंव अप्रार्थी न0 1 के नाम से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आसपुर तहसील आसपुर द्वारा मिसल नम्बर 1759/76 के द्वारा खसरा नम्बर 87/64 रकबा 6 बिघा 17 बिस्वा मौजा भेखरेड वर्तमान गॉव उम्मेदपुरा मे विपक्षी सं. एक को किया गया आवंटन आदेश यथावत (बहाल) रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

11/01/21

(कृष्णपालसिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:58 IST
Reason: SelfAttested